



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.1/अभि.सस्था/संस्था-पद./स्थगन/24-27343

जयपुर, दिनांक:

**--:आदेश:-**

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर सिविल रिट याचिका संख्या 1476/2024 में प्रदत्त स्थगन आदेश के क्रम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रानुसार विभागीय राजकाज आदेश क्रमांक 6150712 दिनांक 15.03.2024 की क्रम संख्या 02 द्वारा श्री शंकर लाल शर्मा सहायक अभियन्ता को पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर से आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग करने सम्बन्धी आदेश निरस्त किया जाता है। श्री शर्मा यथावत सहायक अभियन्ता पंचायत समिति जवाजा के पद पर पदस्थापित कार्यरत रहेंगे।

(रामनारायण बड़गुजर)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलक्टर, संबंधित।
9. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
10. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति जवाजा।
12. प्रभारी अधिकारी संबंधित कोर्ट केस।
13. संबंधित अभियन्ता को पालनार्थ।
14. रक्षित पत्रावली।

9550830

Document certified by RAM NARAIAAN BADGUJAR  
<RAS.RNBADGUJAR@GMAIL.COM>

Digitally Signed by Ram Naraian  
Badgujar  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date :06-08-2024 12:39:10